न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान श्योकोरी बनाम राजस्थान सरकार
वाद–पत्र संख्या – 20/2025
निर्णय दिनांक ..30.10.2025....

श्योकोरी पत्नी श्रवणराम उर्फ श्रवणसिंह जाति प्रजापत निवासी अलायला तहसील तारानगर जिला चूरू।

वादीनी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट, 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

–::निर्णय::–

वादीनी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा अलायला पटवार हल्का अलायला तहसील तारानगर जिला चूरू के खाता संख्या 111 के खसरा सं. 419/202 तादादी 0.1644, हैक्ट, खसरा नं. 559/417 तादादी 7.9537 हैक्ट. में राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज है। वादी का कथन है कि उक्त खसराजात की कृषि भूमि में वादीनी के पति स्व. हीराराम की मृत्यु के बाद सामाजिक परम्परा व अपनी परिवार की परम्परा के अनुसार अपने देवर श्रवणराम उर्फ श्रवणसिंह के नाम का चूड़ा पहन लिया उनके पहले पति की मृत्यु लगभग 60–65 वर्ष पूर्व हो चुकी है तथा मेरे ससुर का नाम जुहाराराम है। जो कि पैतृक संपति है। उक्त जमाबंदी मौजा अलायला तहसील तारानगर जिला चूरू में वादीनी का नाम श्योकोरी पत्नी श्रवणराम उर्फ श्रवणसिंह की जगह श्योकोरी पत्नी हीराराम गलत दर्ज हो गया जबकि वादीनी का अन्य सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, राशन कार्ड में सही नाम श्योकोरी पत्नी श्रवणराम उर्फ श्रवणसिंह है। वादीनी का नाम जमाबंदी में गलत दर्ज होने के कारण राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने व अन्य कार्यों में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अब वादी जमाबन्दी में दुरूस्ती करवाना चाहता है। इसलिए वाद–पत्र पेश कर रही है कि कृषि भूमि रोही मौजा अलायला पटवार हल्का अलायला तहसील तारानगर जिला चूरू के खाता संख्या 111 के खसरा सं. 419/202 तादादी 0.1644, हैक्ट, खसरा नं. 559/417 तादादी 7.9537 हैक्ट. में वादीनी का नाम श्योकोरी पत्नी श्रवणराम उर्फ श्रवणसिंह किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने वादीनी का नाम श्योकोरी पत्नी श्रवणराम उर्फ श्रवणसिंह होना अंकित किया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ। वकील वादी द्वारा साक्ष्य करवाने हेतु समय चाहा गया है।

वकील वादी की ओर से वादीनी व पपूराम दत्तक पुत्र श्रवणराम जाति प्रजापत निवासी अलायला तारानगर का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया और बयान लेखबद्ध करवाये गये। साक्ष्य प्रतिवादी नहीं कराये गये।

Rajendra

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

वकील वादीनी की बहस सुनी गई। वकील वादीनी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए दावा स्वीकार करने का निवेदन किया। वकील वादीनी के कथनों का गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, राशन कार्ड में सही नाम श्योकोरी पत्नी श्रवणराम उर्फ श्रवणसिंह पाया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, राशन कार्ड में वादीनी का नाम श्योकोरी पत्नी श्रवणराम उर्फ श्रवणसिंह पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में वादीनी का नाम श्योकोरी पत्नी हीराराम अंकित है। नाम में भिन्नता से वादी को परेशानी होना सम्भव है। अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही अलायला पटवार हल्का अलायला तहसील तारानगर जिला चूरू के खाता संख्या 111 के खसरा सं. 419/202 तादादी 0.1644, हैक्ट, खसरा नं. 559/417 तादादी 7.9537 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वादी का नाम श्योकोरी पत्नी हीराराम **Delete** कर इसके स्थान पर श्योकोरी पत्नी श्रवणराम उर्फ श्रवणसिंह अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30/10/2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)